

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज विभाग)

क्रमांक:एफ 28()पंरावि/प्रशा.2/पंचा.प्र.अ./सेवा.नि./2017/ 1618 जयपुर,दिनांक: 26/4/17

—: आ दे श :-

श्री श्याम सुन्दर, पंचायत प्रसार अधिकारी, पंचायत समिति डीडवाना, जिला नागौर में अधीनस्थ सेवा में कार्यरत थे, का दिनांक 19.01.2017 को स्वर्गवास हो जाने के कारण उन्हें औपचारिक रूप से दिनांक 19.01.2017 को मध्यान्ह पश्चात् राज्य सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर नामित श्री श्याम सुन्दर के विरुद्ध आज तक:-

- (1) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम,1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- (2) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- (3) कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

आज्ञा से,



(हेमन्त स्वरूप माथुर)
शासन उप सचिव (जांच)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित है :-

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. अति./मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद नागौर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त पंचायत प्रसार अधिकारी का विभागीय जांच बकाया नहीं होने का प्रमाणीकरण आप द्वारा प्रेषित प्रमाण पत्र के आधार पर किया गया है।
3. विकास अधिकारी, पं.स. डीडवाना (नागौर)
4. ए.सी.पी., मुख्यालय को विभागीय वेबसाईड पर अपलोड कराने हेतु।
5. आदेश / रक्षित पत्रावली



शासन उप सचिव (जांच)